प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक शि0नि0(बे0)/नियोजन/ 94017-94 /2021–22 दिनांक: 20 मार्च, 2022

विषयः– Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking" के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू, उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों का क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पत्रांक: यूपीवीएचए/टी.सी.पी./216/2022 दिनांक: 14 मार्च, 2021 एवं उक्त के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक: गृह–अनुभाग(पुलिस) 15 दिनांकित 02 मार्च 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking" के "एक युद्ध नशे के विरूद्ध" के अन्तर्गत देशों में मादक द्रव्यों के सेवन के विरूद्ध विभिन्न विभागों, संस्थानों, एजेंसियों, प्राधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही को और अधिक सुदृढ़ एवं आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में कार्य किये जाने की आवश्यकता बताई गयी है।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि सभी स्कूलों, कॉलेजों एवं विभाग के अन्तर्गत संचालित अन्य शैक्षिक संस्थानों में बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने एवं मानक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री को रोके जाने के सम्बन्ध में सिगरेट और अन्य तम्बाकू, उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा एक विशेष अभियान चलाकर शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि के भीतर व दुकानों को हटाये जाने हेतु पुलिस / प्रशासन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीया,

29/3/2022
(गणेश कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(बेसिक)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/नियोजन/ 94017-94 /2021–22 तद्‌दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, 5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. राज्य नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण, कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

29/3/2022
((गणेश कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक(बेसिक)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ok